



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
30 प्र 0 पावर कारपोरेशन लि 0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN : U32201UP1999SGC024928

फोन नं० : 0522-2288656,

फैक्स : 0522-2288655

ई-मेल : ce.hydel@uppcl.org

संख्या : 961 / अनु-प्रथम / सी0ई0एच0 / 2024

दिनांक : 03/08/2024

कार्यालय ज्ञाप

परिषदादेश सं०-965-पी/राविप-तीस-4पी/86, दिनांक 19.06.89, पूर्ववर्ती परिषदादेश सं०-1598-पी/राविप, दिनांक 21.08.89, कारपोरेशन आदेश सं०-55/काविनी एवं वे०प्र०-29 दिनांक 12.01.2017 में निहित प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) के कक्ष में दिनांक 30.07.2024 को सम्पन्न बैठक में अधोनामित अवर अभियन्ता (वै० एवं या०) की उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए 14 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्तम्भ-06 में अंकित तिथि से द्वितीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० सहर्ष स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री...	पिता का नाम सर्वश्री....	वरिष्ठता क्रमांक	सैप आई०डी०	द्वितीय ए०सी०पी० स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	विजय पाल सिंह	बीरबल सिंह	9706	11003962	29/12/2021
2	पवन वर्मा	अशोक वर्मा	10084	11005832	29/12/2021
3	जय सिंह	ओम प्रकाश	10146	11001994	29/12/2021
4	सन्तोष कुमार	लल्लन प्रसाद गुप्ता	10154	11006213	29/12/2021
5	महेन्द्र कुमार	लल्लू प्रसाद सिंह	08/CEH/48	11001454	22/09/2022

अधोनामित अवर अभियन्ता (वै० एवं या०) के द्वितीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कारणों से स्थगित किया गया :-

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री....	पिता का नाम सर्वश्री....	वरि०क्रम०	सैप आई०डी०	लम्बित रखे जाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	जवाहर राम गुप्ता उर्फ जवाहर राम गुप्ता	स्व० मोढ़ा राम	5008	-	वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 गो०च०प० अनुपलब्ध।
2	दिनेश कुमार	चतुरी राम	9824	11004504	अनु०-04-1-15(1,2)-पत्र सं० 564/ अनु०-04 दि० 10.08.2017 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत, मा० न्यायालय निर्णय प्रतीक्षित।
3	राजेन्द्र सिंह	तुलसी सिंह	9970	11006916	1.दि० 05.10.2019 से 31.03.2020 एवं 01.04.2020 से 24.02.2021 गो०च०प० अनुपलब्ध। 2. पश्चिमांचल-9-1. अधि० अभि० विविमं० रामपुर के पत्र सं० 2753 दि० 26.03.2019 के द्वारा रू० 82,164.00 का विविध अग्रिम। 2. अधि० अभि०, विनविखं०-1 मुजफ्फर नगर/रामपुर के द्वारा कुल रू० 71400 की कटौती की गयी।

4	शिव बाबू निषाद	राम दुलार निषाद	9976	17804439	1.दि० 12.09.2018 से 31.03.2019 एवं 01.04.2019 से 12.09.2019 तक गो०च०प० अनुपलब्ध। 2.आदेश सं० 818 दि० 20.06.2019 द्वारा अभियोजन स्वीकृत।
5	मणिराम सिंह	शिवनाथ सिंह	9994	11004501	1.अनु०-04-1-20(1,2,3,4) 1. सं० 1661/अनु०-4 दि० 25.10.2010 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत 2. दोष मुक्ति के विरुद्ध शासकीय अपील दायर किये जाने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक, सतर्कता बरेली से अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने हेतु पत्र सं० 226 दि० 20.03.2024 द्वारा अद्यतन स्थिति हेतु पत्र प्रेषित। 2. मु०-05ए-1-8- मु०अ०स०-1903/2008 से सम्बन्धित योजित विशेष वाद संख्या-04/ 2011 में पारित आदेश दि० 29.02.2016 के विरुद्ध मा० न्यायालय में योजित अपील सं०-3088/2016 के सम्बन्ध में हुई प्रगति, उ०प्र० शासन स्तर से प्रतीक्षित।
6	संतोष कुमार	राम बहादुर	10047	11005618	1. दि० 03.08.2019 से 31.03.2020 असन्तोषजनक (सत्यनिष्ठा रोकी गयी) एवं दि० 01.04.2020 से 19.03.2021 असन्तोषजनक (सत्यनिष्ठा रोकी गयी) 2.अधि० अभि० मुरादाबाद के पत्रांक 7882 दि० 17.11.2016 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि। 3.अधि० अभि० वि०वि०मं० प्रथम मुरादाबाद के ज्ञाप सं० 1038 दि० 26.02.2018 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि। 4.अधि०अभि०, वि०न० वि०मं०, मुरादाबाद के पत्रांक-2173 दि० 05.11.2020 द्वारा निन्दा प्रविष्टि का दण्ड।
7	कपिल कुमार	वेद प्रकाश	10090	11005745	1.अधि० अभि० विविमं० पिलखुआ के ज्ञाप 11053 दि० 15.03.2017 के द्वारा रु 1081993.00 का विविध अग्रिम, दिनांक 15.04.2023 तक 30 किश्तों में रु 300000/- की रिकवरी की गयी है। 2.निगमीय के पत्रांक 814 दि० 08.02.2018 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि के साथ संचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड। 3.निगमीय ज्ञाप सं०-4258 दि० 05.05.2018 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि एवं दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड। 4.अधि० अभि० विविमं बागपत के ज्ञाप 120 दि० 16.01.2019 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि। 5.पत्रांक-3441 दि० 21.11.2019 द्वारा निन्दा प्रविष्टि का दण्ड)
8	राजेश कुमार	रामजी लाल	10092	11005951	मु०-05ए-1-9-थाना डिबाई में एफ०आई०आर० सं० 360 दि० 09.09.2020 भा०द०स० 1860 के अन्तर्गत धारा 409 अभियोग पंजीकृत, विवेचना प्रचलित, विवेचना प्रचलित।
9	राजीव कुमार	रामपाल सिंह	10100	11000886	मु०-05ए-1-10-थाना शामली में एफ०आई०आर० सं०-19 दिनांक 11.01.2021 भा०द०स० अधिनियम 1860की धारा 420, 467, 468, 471, 409 में अभियोग पंजीकृत, विवेचना अद्यतन प्रचलित।

10	राजेश कुमार सैनी	स्वामी दयाल सैनी	10159	11002106	आदेश सं० 1274 दि० 23.03.2023 द्वारा प्रारम्भिक मूल वेतन पर अवनति की शक्ति प्रदान की गयी।
11	राकेश कुमार	आर०एस० राम	10188	11006598	दि० 24.06.2017 से 31.03.2018, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 गो०च०प० अनुपलब्ध।
12	कमलेश कुमार दीक्षित	ओंकार नाथ दीक्षित	10212	11003949	मु०-05ए-1-12- अभियोग सं० 375 दि० 28.07. 2019 की विवेचना आख्या प्रतीक्षित।
13	विजय प्रताप सिंह	बच्चू लाल	10215	11002943	पत्र सं० 140/ अनु०-04 दि० 01.02.2019 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत, मा० न्यायालय के आदेश दि० 01.02.2022 द्वारा दोषमुक्त, उक्त दोषमुक्त आदेश शासकीय अपील का प्रस्ताव शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया है, निर्णय प्रतीक्षित।
14	आनन्द पाल सिंह	किशोरी लाल	08/CEH/15	11005789	ज्ञाप सं० 1877 दि० 11.10.2021 द्वारा परिनिन्दा एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाना।
15	राम करन	छोटे लाल	08/CEH/28	11005908	1. दक्षिणांचल-40- 1. जनपद महोबा उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान झांसी 140/2017 /1171 दि० 10.10.2018 द्वारा श्री राम करन की नामावली मांगी गयी है। 2. कारपोरेशन-05ए-1-13- राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में तथाकथित रू० 1600 करोड़ घोटाले के सम्बन्ध में जांच आख्या प्राप्त, प्राप्त जांच आख्या में अवर अभि० का नाम उल्लिखित नहीं है। आख्या कारपोरेशन स्तर पर परीक्षणाधीन। 3. अधि० अभि०, महोबा के ज्ञाप सं० 524 दि० 28. 05.2019 द्वारा रू० 412500 का विविध अग्रिम, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित)
16	अशोक कुमार	लखनलाल	08/CEH/34	11005966	1. अधि० अभि०-अनु० कार्य, वाराणसी के पत्रांक 1108 दि० 26.03.2019 के द्वारा निन्दा प्रविष्टि का दण्ड 2. ज्ञाप सं० 1629 दि० 18.04.2019 द्वारा निन्दा प्रविष्टि 3. आदेश सं० 1500- शि०-05एफ दि० 15.06. 2021 द्वारा निन्दा प्रविष्टि एवं असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड। 4. सं० 1299- शि०- 05ई, दि० 30.06.2021 द्वारा निन्दा प्रविष्टि एवं संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड।
17	सत्यम कुमार गौड़	उमाशंकर गौड़	08/CEH/56	11001617	उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान झांसी के पत्रांक सं० अ०/ अनु० -140 दि० 10.10.2018 के सन्दर्भ में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005-06 में रू० 1600 करोड़ घोटाले की खुली जाँच सतर्कता अधिष्ठान झांसी द्वारा सम्पादित) (मु०अभि० (हा०) के पत्र सं० 239 दि० 06.02. 2021 के द्वारा जनपद महोबा में गांवों के विद्युतीकरण में घोटाले के सम्बन्ध में जाँच हेतु सेवा अभिलेख मांगे गये।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 961 / अनु०-प्रथम / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को, कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रां०का०लि० को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विचाराधीन अवर अभियन्ताओं की वांछित गोपनीय चरित्र पंजिकाए इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. शिविर सहायक मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
9. अधिशासी अभियन्ता (बेव), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे कारपोरेशन की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. कट फाइल।

03/08/2024

(उमेश सिंह यादव)
वैयक्तिक सहायक-पंचम
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)